(फिगम 36)

तहसीलदार मुकाम महवा

सरकार बनाम चिन्टू पुत्र गुलाब जाति मीना

किस्म मुकदमा धारा 91 LR Act नं. 288/18 सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19/2/18	पटवारी हल्का की रिपोर्ट दर्ज कर अतिक्रमी को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 का नोटिस जारी कर पत्रावली दिनांक 5/3/18 को पेश हो। (हस्ताक्षर) तहसीलदार तहसील-महवा (दौसा)	
5/3/18	पत्रावली पेश हुई। अतिक्रमी उपस्थित आया है ~~अति~~ आज श्री मान पीठासीन अधिकारी राज्य कार्य में व्यस्थ (दौरे) पर है पत्रावली दिनांक 7/3/18 को पेश हो। (हस्ताक्षर) तहसीलदार तहसील-महवा (दौसा)	(हस्ताक्षर)
7/3/18	पत्रावली पेश हुई। आवाज लगवाई गई। अतिक्रमी उपस्थित आया है। अतिक्रमी द्वारा अतिक्रमण/अतिक्रमित रकबा को छोड़ने हेतु लिखकर दिया है। जो संलग्न पत्रावली है। अतः अतिक्रमी द्वारा अतिक्रमण किया जाना स्वीकार किया गया है। ~~इस~~ आदेश है कि ग्राम अकबरपुर की अतिक्रमित भूमि से अतिक्रमी को भौतिक रूप से बेदखल किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर संलग्न पत्रावली है। (हस्ताक्षर) तहसीलदार तहसील-महवा (दौसा)	(हस्ताक्षर)

मिसल नम्बर:- ... तारीक रजु 19/2/18 रिपोर्ट पटवारी हल्का कमालपुर बनाम

चिन्टू पुत्र गुलाब जाति मीणा निवासी अकबरपुर तहसील महवा

अन्तर्गत धारा 91 राज.भू–अधिनियम 1956

दिनांकः– 7/3/18

निर्णयः–

आज यह पत्रावली बमुकाम महवा हमारे समक्ष पेश हुई पटवारी हल्का की रिपोर्ट है कि उक्त श्री चिन्टू ने ग्राम अकबरपुर को भूमि ख.न. 32 रकबा 0.05 किस्म चरागाह फसल सरसों रबि / ~~खरीफ~~ संवत 2074 में सरसों कर अतिक्रमण किया है। इस पर अप्रार्थी के विरूद्व प्रकरण अंतर्गत धारा 91 (6) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 दर्ज किया जाकर नोटिस जारी किया जो बाद तामिल शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी उपस्थित आया। उसके द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया उक्त जवाब में उसके द्वारा ~~शपथ पत्र~~/प्रार्थना पत्र पेश कर अतिकमित रकबा को छोडने हेतु लिखकर दिया जो संलग्न पत्रावली किया गया है व मुताबिक रिपोर्ट पटवारी अतिकमण की पुष्टि होती है प्रकरण नियमन योग्य नही है। अतिकमी दोषी है।

अतः आदेश है कि अप्रार्थी को अतिकमित आराजी ख.न. 32 रकबा 0.05 किस्म चरागाह वाके ग्राम अकबरपुर से बेदखल किया किया जाता है। तथा अप्रार्थी को अतिकमित भूमि के वार्षिक लगान का 2.20 का 50 गुणा 110 रु. शास्ति से दण्डित किया जाता है। तथा इस पर खडी फसल ... को निलाम किये जाने के आदेश दिये जाते है। भू–अभिलेख निरीक्षक व पटवारी को अप्रार्थी की खडी फसल को ~~नष्ट~~/नीलाम करने तथा भौतिक रूप से अतिकमित भूमि से बेदखल करने तथा पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश जारी हो। तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी को मांग कायमी वसुली हेतु लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो। नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार
तहसील–महवा (दौसा)

रजिस्टर गा/घ के पेज नं. 84 पर
वर्ष 2017–18 ... 110 रु.
की राशि ... की गई।
की जमा ... लेखाकार
दिनांक 20/3/18 तहसील–महवा